न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–69 / 2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2022 / 88

प्रार्थी बनाम **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी: ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्रांधिकृत अधिकारी **श्री धमेन्द्र गेहलोत पुत्र श्री प्रेमराज गेहलोत**

अप्रार्थीगण:

1. श्री विष्णु जवैल, प्लोट नम्बर 47, चांदविहारी नगर, खातीपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर–302012
2. श्यामसुन्दर पुत्र सत्यनारायण सोनी, 154 सी, चांदविहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर राजस्थान–302012
3. श्रीमती केसरदेवी पत्नी सत्यनारायण, निवासी 728, कांकाणियों का मौहल्ला माताजी के थान के पास, जायल तहसील जायल, जिला नागौर–341023
4. श्रीमती सरस्वती सोनी पत्नि ताराचंद सोनी, प्लोट नम्बर 25–केएच–ए, श्रीराम नगर कालवाड रोड़, झोटवाडा जयपुर दूसरा पता–श्रीमती सरस्वती, सोनी पत्नी तारांचद सोनी, 154सी, चांदविहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर।
5. सत्यनारायण पुत्र रामकरण जी कांकाणियों का मौहल्ला माताजी के थान के पास, जायल तहसील जायल, जिला नागौर–341023 दूसरा पता–सत्यनारायण, सम्पति दुकान डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (रेजीडेन्ट / कॉमर्शियल) 5 125 जायल जिला नागौर राज0

दिनांकः 21-03-2022

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी की से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर, प्रार्थी श्री धमेन्द्र गेहलोत को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी / ऋणी को जरिये रूपये **13,00,000 / –(अक्षरे तेरह लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.02.2020** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण / ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति–मकान डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (रेजीडेन्स / कॉमर्शियल) पट्टा संख्या 07 जो जायल नागौर राजस्थान में स्थित है, जो 97.6 वर्गगज 879 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवंन व ढ़ाचा आदि सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जो सत्यनारायण द्वारा धारित है। जिसके पड़ौस निम्न है– उत्तर में–शिवरतन पुत्र गोरधनराम कांकाणी, दक्षिण में–घर का निकाल व रास्ता, पूर्व में–राजाराम पुत्र गणपतराम सोनी व संदीप कुमार, पश्चिम में–अभयसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण / ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 11.07.2021** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणी में **रूपये 13,15,114 / – (अक्षरे तेरह लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौदह रूपये मात्र) दिनांक 22.07.2021 तक शेष देय है एंव दिनांक 23.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस **दिनांक 26.07.2021** प्रार्थी बैंक ने ऋणी / अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, एवं नोटिस का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया। सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति का पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 13,15,114 / – (अक्षरे तेरह लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौदह रूपये मात्र) दिनांक 22.07.2021 तक शेष देय है एंव दिनांक 23.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी / अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:53:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति– मकान डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (रेजीडेन्स/कॉमर्शियल) पट्टा संख्या 07 जो जायल नागौर राजस्थान में स्थित है, जो 97.6 वर्गगज 879 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढ़ाचा आदि सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जो सत्यनारायण द्वारा धारित है। जिसके पड़ौस निम्न है– उत्तर में–शिवरतन पुत्र गोरधनराम कांकाणी, दक्षिण में–घर का निकाल व रास्ता, पूर्व में–राजाराम पुत्र गणपतराम सोनी व संदीप कुमार, पश्चिम में–अभयसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 13,00,000/–(अक्षरे तेरह लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.02.2020** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– मकान डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (रेजीडेन्स/कॉमर्शियल) पट्टा संख्या 07 जो जायल नागौर राजस्थान में स्थित है, जो 97.6 वर्गगज 879** वर्गफुट जायगा व उसमें **स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढ़ाचा आदि सभी सम्पति के अभिन्न अंग है,** जो सत्यनारायण द्वारा धारित है। **जिसके पड़ौस निम्न है– उत्तर में–शिवरतन पुत्र गोरधनराम कांकाणी, दक्षिण में–घर का निकाल व रास्ता, पूर्व में–राजाराम पुत्र गणपतराम सोनी व संदीप कुमार, पश्चिम में–अभयसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत,**जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक ... बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को ... कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो ... दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:53:55 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)